नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :107 /NCRES/20 Date :26.5.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः— LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट झांसी मण्डल के छूटे हुये अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाना।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आपके विशेष प्रयास से LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित अभ्यर्थियों को महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदन से नियुक्ति देने का आदेश दिनांक 31.1.2020 को जारी किया गया था, जिसपर झांसी मण्डल में केवल 23 लोगो को नियुक्ति दी गई, जबकि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पहले लगभग 70 अभ्यर्थी मेडिकल जांच में उत्तीर्ण घोषित किये गये थे।

NCRES ने अपने पत्र दिनांक 12.2.2020 के द्वारा आपसे अनुरोध किया था कि LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पहले उत्तीर्ण झांसी मण्डल के शेष अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रदान किया जाय लेकिन अभी तक झांसी मण्डल ने शेष बचे हुये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नही किया और NCRES के डिवीजनल बाडी को बताया गया कि प्रधान कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि झांसी मण्डल के **श्री गणेश S/o गंगू इसी माह 31.5.2020 को सेवानिवृत होने वाले है** और इनकी पुत्री कु0 मोहनी कुशवाहा को LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किया गया है।

NCRES का अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में झांसी मण्डल को जल्द से जल्द उचित दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करे ताकि श्री गणेश की पुत्री कु0 मोहनी सहित LARSGESS के तहत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये रेल कर्मचारियों के पुत्री एवं पुत्रो को, जिनका भविष्य इसी पर निर्भर है, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री